(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

रामेश्वर बनाम तहसीलदार माण्डल

किस्म मुकदमा ....प्रा०प०.... नं० ....126.... सन ....2019....

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
[illegible]. 6.19	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 23.7.19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
23.7.19	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन / बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 13.8.19 को पेश हो।	
13.8.19	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षी का सम्मन बाद तामिल ~~होकर~~ प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया, विपक्षी पैरोकार सरकार उपस्थित, पैरोकार सरकार जवाब प्रस्तुत नही कर सीधी बहस करना चाहते है। उभयपक्षो की बहस सुनी गयी पत्रावली वास्ते आदेश हेतु नियत दिनांक 20.8.19 को पेश हो।	
20.8.19	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, वकील प्रार्थी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की जब कि पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	आराजियात ग्राम आलमास पटवार हल्का आलमास तहसील माण्डल मे स्थित होकर रमेश s/o उदा बलाई साकिन देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत 2072 से 2075 से होती है प्रस्तुत दस्तावेज एंव प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो के अनुसार प्रार्थी का नाम रमेश न होकर रामेश्वर s/o उदा बलाई है। जिसकी ताईद मतदाता पहचान पत्र की फोटो प्रति, आधार कार्ड की फोटो प्रति, परिवार का राशन कार्ड की फोटो प्रति, बैंक ऑफ बडौदा की पास बुक की फोटो प्रति, ग्राम पंचायत के पत्र की फोटो प्रति से होती है। जिसमे प्रार्थी का नाम रामेश्वर s/o उदा बलाई है उसी के अनुसार प्रार्थी अपना नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराना चाहता है ताकि बोलचाल व राजस्व रेकार्ड मे भिन्नता नही हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं, अत: :: आदेश :: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम आलमास पटवार हल्का आलमास तहसील मांडल मे स्थित खाता सं. 208 मे आराजी नं. 579, 593, 594, 595, 596, 598, 599 कुल किता 07 कुल रकबा 08 बीघा 13 बिस्वा एंव खाता सं. 209 मे आराजी सं. 590 रकबा 05 बिस्वा गै.मु. चाह, खाता सं. 210 मे आराजी सं. 573 रकबा 03 बिस्वा गै.मु. बैरा, खाता सं. 211 मे आराजी सं. 589 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा, खाता सं. 212 मे आराजी सं. 825 रकबा 04 बिस्वा गै.मु. बैरा, खाता सं. 213 मे आराजी सं. 1390/242, 1417/242 कुल किता 02 कुल रकबा 04 बीघा भूमि मे प्रार्थी का नाम रमेश s/o उदा बलाई के बजाय रामेश्वर s/o श्री उदा बलाई अंकित किये जाने का आदेश ...

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार मांडल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा